कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः–मान0 1323 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 10/09/ 2022

क्रमांक सं0 1208 दिनांक 10/09/22 फाइल सं0 15 ...

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण –सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी॰/यू॰सी॰पी॰ /06/52/2021/एफ॰सी॰/625, दिनांक 26–08–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी के पत्र की छायाप्रति सहित 03 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क.स.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण। (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.50 है0 सिविल भूमि ग्राम नौली खसरा संख्या 201,202,203,206,207 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू॰ 1298157.00 आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 150896138635725 में जमा कर दी गई है। **संलग्नः–1– चालान की प्रति।**
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है। को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 1886/छब्बीस–10(2021–22) गोपेश्वर दिनांक 28 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित 3.50 है0 सिविल भूमि अधिसूचना संख्या 869–एफ/638, दिनांक 17–10–1893 के अनुसार रक्षित वन की श्रेणी में आती है। अतः पुन आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **संलग्नः–2– जिलाधिकारी चमोली के आदेश की प्रति एंव खतोनी की प्रति।**
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्नक सं0–3 के रूप में संलग्न है। **संलग्नः–3**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा धनराशि रू॰

	परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	1298157.00 आर.टी.जी.एस. के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 150896138635725 में जमा कर दी गई है' ,
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.75 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 1.75 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू. 11,49,750.00 आर.टी.जी.एस. के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 150896138635725 में जमा कर दी गई है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य में परिवर्तन किया जाता है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों का भुगतान यथा समय करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है, इस क्रम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। **संलग्नः– 4– प्रमाण पत्र**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार तथा 24 वृक्ष तथा 27 Saplings से अधिक नहीं होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी ।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये गये है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण मार्ग आर0सी0सी0 मापदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01,2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण येाजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्क रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic/in/) पर अपलोड़ की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1323 /12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।